उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी. सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक : /प्रशा0/2020 दिनांक : 28–04–2020

कार्यालय आदेश

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों द्वारा संचालन हेतु सहमति(जल) एवं सहमति (वायु) प्राप्त किया जाना अनिवार्य है तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित औद्योगिक इकाईयों के विरूद्ध विधिनुसार कार्यवाही की जाती है।

वर्तमान में प्रदेश के अंतर्गत **कोविड–19 वैश्विक महामारी** के दृष्टिगत दिनॉक 24–03–2020 से लॉकडाउन की स्थिति प्रभावी है, जिस कारणवश औद्योगिक इकाईयों का संचालन प्रभावित हुआ है एवं इकाईयॉ बन्द हैं। बोर्ड के संज्ञान में आया है कि प्रदेश में कई औद्योगिक इकाईयॉ, जिन्हें पूर्व में बोर्ड द्वारा सहमति (जल) एवं सहमति (वायु) प्रदान की गई थीं, की वैद्यता लॉकडाउन की अवधि में समाप्त हो जाने के फलस्वरूप, सहमति नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं किया जा सका है।

उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश में स्थापित प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का अनुपालन करने वाली औद्योगिक इकाईयों के सहायतार्थ उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है :–

उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित समस्त ऐसी औद्योगिक इकाईयों, जिनके द्वारा पूर्व में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन हेतु सहमति (जल), सहमति (वायु) प्राप्त की गई हो तथा उनकी सहमति की वैधता लॉकडाउन की अवधि में समाप्त होने के कारण उनके द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सका हो, के द्वारा प्रदेश में लॉकडाउन समाप्त होने के उपरान्त सहमति आवेदन निवेश–मित्र पोर्टल के माध्यम से राज्य बोर्ड में प्रस्तुत किया जाये। उक्त सहमति नवीनीकरण आवेदनों पर सहमति प्रदान किये जाने संबंधी निर्णय नियमानुसार लिया जायेगा। लॉकडाउन की अवधि में सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने तथा सहमति नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के मध्य की समयावधि को **प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का उल्लंघन लॉकडाउन की परिस्थितियों के दृष्टिगत नहीं माना जायेगा।**

(आशीष तिवारी) 28.04
सदस्य सचिव

पृ0सं0 एवम् दिनॉक : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– अध्यक्ष महोदय के निजी सहायक।
2– प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3– प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन एवं खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4– प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5– अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
6– समस्त नियंत्रक अधिकारी, बोर्ड मुख्यालय।
7– समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
8– गार्ड फाईल।

सदस्य सचिव 28.04